प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2023
प्र0सू0रि0 सं. ......149/2023...... दिनांक ......13/6/2023......

2. (I) अधिनियमः–धारा 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)

(II) अधिनियम .. भा.दं.सं. धारायें .... 120बी

(III) अधिनियम .... धारायें ....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.........................

3 रोजनामचा आम रपट संख्या ....237........ समय ......3:00 AM.......

(ब) अपराध घटने का दिन–रविवार दिनांक 12.06.2023 समय 01:10 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– सूत्र सूचना

5. घटनास्थलः– अग्रवाल आई होस्पीटल के सामने, सिविल लाईन फाट के पास, जयपुर।

(अ पुलिस थाना से दिशा व दूरी – –

(ब) बीट संख्या..........................जमारामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम– सरकार जरिये मुताबिक सूत्र सूचना श्री सचिन शर्मा

(ब) पिता/पति का नाम–

(स) जन्म तिथी–

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय–उप अधीक्षक पुलिस, विअनुई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ।

(ल) पता–

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री धर्मसिंह मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा उम्र 59 साल निवासी प्लाट नम्बर 13, कुसुम विहार कॉलोनी, जगतपुरा हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर

2– श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा उम्र 45 साल निवासी ग्रामपोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपर

3– अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–50,000/– रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 12.06.2023 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में उच्चाधिकारियों को प्रेषित सूत्र सूचना श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर सूत्र सूचना

का अवलोकन किया गया पाया गया कि श्री राजेश दुरेजा, उप पुलिस अधीक्षक तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को यह आसूचना मिली कि विशेष योग्यजन निदेशालय तथा मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर में विभिन्न कार्यों के लिये टेण्डर देने तथा कार्यों में घटिया/कम गुणवता की सामग्री सप्लाई करने हेतु संरक्षण प्रदान करने की एवज में ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा सम्बंधित विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलीभगत कर भारी धन राशि रिश्वत के रूप में आदान प्रदान क रहे है। गोपनीय सत्यापन तथा तकनीकी विश्लेषण से सूचना के तथ्यों की पुष्टि होने पर सम्बंधित संदिग्ध व्यक्तियों श्री जयनारायण मीणा द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नम्बर 9057559971, 9772551477, श्री अजय मीणा, अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली जयपुर द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं0 9782802188 एवं धर्मसिंह, लेखाधिकारी विशेष योग्यजन निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं0 9829844471 को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया गया तथा श्री भरतलाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक एवं श्री संजय बसेरा कानि0 177 द्वारा गोपनीय सूचना के सत्यापन के क्रम में संदिग्धो की गोपनीय निगरानी करते हुये अन्तावरोध वार्ताओं को सुना गया। अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने से यह प्रकट हुआ है कि ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा द्वारा मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली में नियमविरूद्ध रखरखाव से सम्बंधित टेंडर प्राप्त करने तथा कार्य के दौरान अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिये तथा बिलों के पुनर्भरण के लिये विशेष योग्यजन निदेशालय तथा मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली के अधिकारियों को रिश्वत की राशि दी जा रही है। अन्तावरोधित वार्ताओं से "श्री जयनारायण मीणा द्वारा विशेष योग्यजन निदेशालय में पदस्थापित लेखाधिकारी श्री धर्मसिंह को निकट भविष्य में रिश्वत राशि दिया जाना प्रकट हुआ है। यदि उक्त दोनों संदिग्धों को रिश्वत राशि लेते देते हुये पकडा जाता है तो विशेष योग्यजन निदेशालय तथा मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा सम्भव है।" उक्त सूत्र सूचना प्राप्त होने पर कार्यालय हाजा के समस्त अधिकारीगण एवं स्टाफ को उक्त सूत्र सूचना से अवगत करवाकर गोपनीयता रखते हुए कार्यवाही हेतु तैयार रहने के निर्देश दिये गये। समय 12:40 पीएम पर उच्चाधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाकर उपरोक्त कार्यवाही में संदिग्ध आरोपीगण के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने की सम्भावना बताकर तकनीकी शाखा से समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् इस समय श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरों जयपुर राजस्थान द्वारा दिनांक 10.06.2023 को ब्यूरो मुख्यालय पर मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में दी गई सूत्र सूचना के संदर्भ में श्री केसर सिंह, सउनि तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करवाया कि "मुझे श्री राजेश दूरेजा, उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये दूरभाष बताया कि संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी की अन्तावरोध वार्ताओं के अनुसार वह अपने कार्यालय से बाहर आकर सिविल लाईन फाटक की तरफ के रास्ते में ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा, जो अपनी बोलेरो कार से आ रहा है, से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु मुलाकात करेगा।" जिस पर तकनीकी शाखा द्वारा प्रस्तुत सूत्र सूचना के सत्यापन हेतु प्रभारी, तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा तुरन्त तकनीकी शाखा की टीम से समन्वय करने के बाबत कहा गया हैं। इस पर निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही रमजान कानि0 466, देवेन्द्र कानि0 334, विनोद कानि0 242, पन्नालाल कानि 09, सुभाष कानि0 465 के तुरन्त ही श्री केसर सउनि द्वारा बताये गये स्थान पर मय वाहन सरकारी मय ट्रेप बाक्स व लेपटॉप प्रिन्टर के रवाना हुआ। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुपरविजन हेतु हमराह रवाना हुये। चुंकि सूचना आकस्मिक रूप से प्राप्त हुई है। इस कारण स्वतंत्र गवाहान श्री भवानीशंकर, नरेन्द्र सिंह व श्री सचिन शर्मा जो पूर्व से गोपनीय कार्यवाही हेतु पाबंद है, पर एसीबी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है को जरिये दूरभाष तुरन्त ही सीविल लाईन्स फाटक के पास स्थित निदेशालय, विशेष

योग्यजन, राजस्थान जयपुर के पास पहुंचने के निर्देश दिये तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता मय सरकारी वाहन मय चालक, लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर के पास समय 01:10 पीएम पहुंचा, जहां पर निदेशालय के आगे अग्रवाल आई अस्पताल के सामने पूर्व से इस कार्यवाही में तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के प्रभारी श्री राजेश दूरेजा, उप अधीक्षक पुलिस की द्वारा मामूर तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर की टीम जिसमें सर्वश्री केशर सिंह, सउनि, श्री लक्ष्मण नारायण हैडकानि0 15, राहुल शर्मा हैडकानि 80, अनिल सिंह कानि0 381 उपस्थित मिले। जहां टीम प्रभारी श्री केसर सिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मुझे श्री राजेश दूरेजा, उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये दूरभाष बताया कि आज दिनांक 12.06.2023 को अन्तावरोध वार्ताओं के अनुसार श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी अपने कार्यालय से बाहर आकर सिविल लाईन फाटक की तरफ के रास्ते में ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा, जो अपनी बोलेरो कार से आ रहा है, से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु मुलाकात करेगा। जिस मैं अपनी टीम के साथ तुरन्त कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर के सामने सडक पर मुकीम हुये। थोडे ही समय पश्चात् एक बोलेरो गाडी नम्बर आरजे 14 टीई 3574 उक्त कार्यालय के सामने की मुख्य सडक पर आकर रूकी तथा उसमें से ड्राईवर श्री जयनारायण उतरकर अग्रवाल आई होस्पीटल के सामने सडक पर खडे संदिग्ध अधिकारी श्री धर्मसिंह से वार्ता करने लग गया तथा दोनों व्यक्ति वार्ता करते हुये अग्रवाल आई होस्पीटल के सामने सडकों के बीच में लगी बैंच पर बैठ गये। फिर ठेकेदार श्री जयनारायण ने कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन जयपुर से लेबर सप्लाई को टेण्डर पास कराने की एवज में अवैध पारितोषण की राशि संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीना को सुपुर्द दी है तथा श्री धर्मसिंह मीना ने उक्त रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट के बांयी जेब में रख ली। फिर संदिग्ध श्री जयनारायण मीणा अपनी गाडी में बैठकर जाने लगा तथा संदिग्ध अधिकारी श्री धर्मसिंह मीना भी अपने कार्यालय में जाने लगा तो हमने अभी–अभी श्री धर्मसिंह तथा श्री जयनारायण को रोककर अपना परिचय देकर रोका है। इसी समय उपरोक्त तीनों गवाहान अपनी–अपनी मोटरसाईकिल से मौके पर उपस्थित आये, जिनको तकनीकी शाखा की सूत्र सूचना के बारे अवगत कराया जाकर संदिग्धान व्यक्तियों के विरूद्ध की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में विस्तार से समझाईस की गई तथा तकनीकी शाखा द्वारा दी गई सूत्र सूचना का भी अवलोकन करवाया गया। तत्पश्चात् संदिग्ध अधिकारी श्री धर्मसिंह मीणा को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताकर पूर्ण नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री धर्मसिंह मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा उम्र 59 साल निवासी प्लाट नम्बर 13, कुसुम विहार कॉलोनी, जगतपुरा हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात् उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष तकनीकी शाखा द्वारा गाडी में बैठे दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा उम्र 45 साल निवासी ग्रामपोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध ठेकेदार श्री जयनारायण को पुनः अपने आने का प्रयोजन बताकर अभी सदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी से मिलने सम्बंध में पूछने पर श्री जयनारायण मीणा ने बताया कि मैं ठेकेदारी का कार्य करता हूं मेरे पास निदेशालय, विशेष योग्यजन के अन्तर्गत संचालित विमन्दित बच्चों के छात्रावास में भोजन बनाने का ठेका है। दिनांक 19.05.2023 से मुझे उक्त छात्रावास में बच्चों की देखरेख के सम्बंध में भी उक्त विभाग से मुझे ठेका मिला है। जिस पर मैंने उक्त दिनांक से ही कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसमें विमन्दित बच्चों को खाना खिलाना, नहाना तथा उनकी देखरेख आदि कार्य करते है। मैंने उक्त ठेके के लिये कई बार आवेदन किया था परन्तु विभाग से मुझे ठेका नहीं मिला। फिर मुझे मेरे मिलने वाले श्री रमेश मीणा, ठेकेदार ने बताया कि यह ठेका चाहिये तो उक्त विभाग में पदस्थापित अधिकारी श्री धर्मसिंह मीणा, एओ से जाकर मिल लो, वो आपको ठेका दिला देंगे। तो फिर मैंने इनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि जिस फर्म की रेट कम रहेगी ठेका उसे ही मिलेगा।

मेरे द्वारा निवेदन करने पर श्री धर्मसिंह ने मुझे बताया कि आपको छात्रावास के विमन्दित बच्चों की देखरेख का ठेका चाहिये तो आपको ऑफिस के लिये खर्चा करना पडेगा। मैंने पूछा कितना खर्चा करना पडेगा तो इन्होंने कहा कि आप तो मुझे 50,000/- रूपये दे देना, आपको ठेका मैं दिला दूंगा। जिस पर मैंने श्री धर्मसिंह को ठेका मिलने पर 50,000/- रूपये देने की हां कर दी। दिनांक 19.05.2023 को उक्त विभाग से मेरी फर्म जयनारायण मीणा को श्री धर्मसिंह जी ने ठेका दिला दिया। कुछ दिन पूर्व से ही श्री धर्मसिंह मीणा जी ने मुझे उक्त ठेका/टेण्डर दिलाने की एवज में मुझसे पहले हुई बात के अनुसार 50,000/- रूपये देने के लिये कहा। जिस पर मैंने श्री धर्मसिंह मीणा को कहा कि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आज श्री धर्मसिंह मीणा, एओ साहब ने मुझे फिर उक्त 50,000/- रूपये लेकर कार्यालय पर आने के लिये कहा तो मैं श्री धर्मसिंह के कहे अनुसार 50,000/- रूपये लेकर कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर आ रहा था तभी श्री धर्मसिंह जी ने मुझे पुनः फोन कर कहा कि मैं अपने कार्यालय के बाहर हूं आप कहां हो तो मैंने कहा कि मैं फाटक के पास पहुंच गया अभी पहुंच ही रहा हूं। फिर मैं कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन के सामने पहुंचा, जहां पर श्री धर्मसिंह मीणा, एओ साहब सडक पर मिल गये, फिर हम दोनों सडक के किनारे लगी हुई बैंच पर बैठकर दोनों आपस में वार्ता करने लग गये। फिर श्री धर्मसिंह ने मेरे को छात्रावास के विमन्दित बच्चों की देखरेख हेतु लेबर सप्लाई का टेण्डर दिलवाने की एवज में पेसे देने के लिये कहा तो मैंने 50,000/- रूपये निकालकर श्री धर्मसिंह जी को दे दिये। श्री धर्मसिंह ने 50,000/- रूपये लेकर अपनी जेब में रख लिये तथा मुझे कहा अब काम करो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं फिर जाने लगा तो आपके अधिकारियों ने मुझे रोक लिया तथा श्री धर्मसिंह जी को भी रोक लिया। तत्पश्चात् श्री जयनारायण मीणा, ठेकेदार ने श्री धर्मसिंह मीणा की ओर इशारा कर बताया कि यही एओ साहब है जिन्होंने ही मेरी फर्म को विमन्दित बच्चों की देखरेख करने हेतु लेबर सप्लाई का टेण्डर दिलवाने की एवज में मुझसे 50,000/- रूपये लिये है। जिस पर मौके पर ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी को संदिग्ध श्री जयनारायण मीणा के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री जयनारायण मीणा मेरे कार्यालय में आता-जाता रहता है तथा यह हमारे विभाग के जामडोली में स्थित छात्रावास में ठेकेदारी का कार्य करता है। इसलिये मैं इसको जानता हूं। आज मैं मेरे कार्यालय से बाहर घूम रहा था इतने में अचानक यह भी अपनी गाडी लेकर वहां पर आ गया तो मैं भी इससे बातचीत करने लगा गया। श्री जयनारायण मीणा ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। जो मेरे पास पैसे मिले है वो मेरे ही है। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी को श्री जयनारायण की टेण्डर पत्रावली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री जयनारायण मीणा को मई माह में लेबर सप्लाई का ठेका मिला है। जिस पर श्री धर्मसिंह मीणा को टेण्डर की प्रक्रिया के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि आवेदक द्वारा मानसिक विमन्दित बालक एवं बालिका गृह, जामडोली में टेण्डर का आवेदन जमा करवाया जाता है, वहां से अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली हमारे कार्यालय में आती है तथा फिर अग्रिम कार्यवाही हेतु सचिव के मार्फत मंत्री महोदय तक पत्रावली जाती है। टैण्डर में मिनीमम दर एवं शर्त के अनुसार योग्यता/बाध्यता रखने वाली फर्म को टैण्डर दिया जाता है। जिस पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मौके पर उपस्थित संदिग्ध ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा तथा संदिग्ध अधिकारी श्री धर्मसिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी को आमने-सामने करवाकर संदिग्ध श्री जयनारायण मीणा से अभी संदिग्ध अधिकारी श्री धर्मसिंह मीणा को दी गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उन्होंने संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा के सामने बताया कि श्री धर्मसिंह मीणा ने लेबर सप्लाई के टेण्डर को पास करवाने की एवज में 50,000/- रूपये देने के लिये कहा था, कुछ दिन पूर्व में भी श्री धर्मसिंह ने मुझे फोन कर उक्त राशि देने के लिये कहा था तब मैंने इनको कहा था आज मेरे पास व्यवस्था नहीं है। फिर आज इन्होंने मुझे पुनः उक्त टेण्डर पास करवाने की एवज में 50,000/- रूपये राशि लेकर सिविल लाईन फाटक के पास स्थित कार्यालय के बाहर बुलाया था जो मैंने लाकर इनको दे दी, फिर पुनः श्री धर्मसिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी को उक्त रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री जयनारायण

मीणा ने मुझे अभी कोई राशि नहीं दी है। तत्पश्चात् श्री जयनारायण मीणा ने मौके पर उपस्थितगणों के समक्ष बताया कि श्री धर्मसिंह मीणा, एओ साहब ने ही मुझे आज मेरा टेण्डर पास करवाने की एवज में 50,000/– रूपये लेकर बुलाया था। जो इनको मैंने अभी दिये है इन्होंने मुझसे लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखे है। जिस पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी को अभी संदिग्ध श्री जयनारायण मीणा द्वारा दी गई रिश्वत राशि प्रस्तुत करने के सम्बंध में कहा गया तो संदिग्ध श्री धर्मसिंह ने श्री जयनारायण मीणा से कोई रिश्वत राशि नहीं लिया जाना बताकर रिश्वत राशि प्रस्तुत करने से मना कर दिया। तत्पश्चात उक्त की पुष्टि के लिये हमराहियान स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में स्वतंत्र गवाह श्री सचिन शर्मा, कनिष्ठ सहायक से संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी की जामा तलाशी लिवाई गई तो संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा के पहनी हुई पेंट के बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोटों की एक गड्डी बरामद हुई, जिसको गवाह श्री सचिन, से गिनवाया गया तो उक्त गड्डी में 500–500 रूपये के कुल 100 नोट होकर कुल 50,000/– रूपये होना पाया गया तथा दाहिनी जेब से कुल 4120/– रूपये बरामद हुये, जिसमें 500–500 रूपये के 8 नोट, 100 रूपये का एक नोट तथा 20 रूपये का एक नोट मिला। आरोपी श्री धर्मसिंह के कब्जे से बरामद 50,000/– रूपये के सम्बंध में संदिग्ध श्री जयनारायण मीणा, ठेकेदार को पूछा गया तो उसने उक्त राशि 50,000/– रूपये होना बताकर अपनी फर्म टण्डर पास करवाने की एवज में श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा मांगी जाने पर दिया जाना बताया। तत्पश्चात उक्त बरामदा रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह तथा श्री सचिन शर्मा से गिनवायी गई तो 500–500 रूपये की गड्डी में कुल 100 नोट होकर 50,000/– रूपये होकर कुल 50,000/– रूपये बरामद होना पाया गया। उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी की जामा तलाशी में मिली उक्त रिश्वत राशि 50,000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री धर्मसिंह के कब्जे से बरामद रिश्वत राशि तथा अन्य सामान मोबाईल आदि को स्वतंत्र गवाह श्री सचिन शर्मा को सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाये गये।

चूंकि मौके पर आम रास्ता होकर लोगों की आमद रफत ज्यादा होने के कारण मौके पर अत्यधिक भीड एकत्रित होने लग गई है जिस कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही मौके पर किया जाना सम्भव नहीं है। अतः निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री जयनारायण मीणा की बोलेरो गाडी की चाबी कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह नं0 334 को सुपुर्द कर बाद आवश्यक हिदायत मामूर कर ब्यूरो मुख्यालय हेतु रवाना किया। स्वतंत्र गवाहान को अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से मन् उप अधीक्षक पुलिस के हमराह सरकारी वाहन के पीछे–पीछे आने की हिदायत की गई तथा दोनों आरोपीगण को हमराहियान सरकारी वाहन में जाब्ते की निगरानी में बिठाकर मौके से रवाना होकर एसीबी मुख्यालय पहुंचा। जहां पर दोनों आरोपीगण को कार्यालय कक्ष में जाब्ते की निगरानी में बिठाया गया। सरकारी वाहन से ट्रेप बौक्स लेपटॉप आदि मंगवाया जाकर कार्यालय में रखवाया गया। उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान भी तलबिदा कार्यालय में उपस्थित आया। कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह नं0 334 भी आरोपी श्री जयनारायण मीणा की बोलेरो को कार्यालय के केम्पस में सुरक्षित खडा करवाकर गार्ड को निगरानी की हिदायत कर चाबी लोकर सुपुर्द की। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री सचिन ने भी अपने पास सुरक्षित रखी बरामदा रिश्वत राशि एवं अन्य सामान को प्रस्तुत किया। रिश्वत राशि को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी की जामा तलाशी में एक मोबाईल फोन समसंग गेलेक्सी एम 31 बरंग ब्लेक, जिसके आईएमईआई नम्बर 354479110884275, 35448110884273 है जिसमें सीम नम्बर 9829844471 होना पाया गया, उक्त मोबाईल से आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा द्वारा प्रकरण में अन्य सदिग्धान से रिश्वत आदान–प्रदान के सम्बंध में वार्ता करना पाया गया है अतः उक्त मोबाईल कार्यवाही में बतौर वजह सबूत होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में शिल्ड कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का M-1 अंकित किया गया।

इसी क्रम में अब तक की गई कार्यवाही से मामले में संदिग्ध श्री जयनारायण मीणा, ठेकेदार द्वारा निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर के कार्यालय से लेबर सप्लाई को टण्डर अपनी फर्म के नाम करवाने की एवज में आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी को 50,000/- रूपये बतौर रिश्वत देना पाया गया। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री सचिन, कनिष्ठ सहायक से आरोपी श्री जयनारायण मीणा, ठेकेदार की जामा तलाशी लिवाई जाकर आरोपी श्री जयनारायण मीणा की जामा तलाशी में पाये गये मोबाईल ओपो कम्पनी का मॉडल रेनो 8, बरंग सफेद जिसके आईएमईआई नम्बर 865392062672576, 865392062672568 है जिसमें मोबाईल नम्बर 9057559971, 9772551477 होना पाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री जयनारायण मीणा का मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित है और उक्त आरोपीगण के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होनो के सम्बंध में वार्ता होना पाया गया है। अतः उक्त मोबाईल कार्यवाही में बतौर वजह सबूत होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में शिल्ड कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का M-2 अंकित किया गया।

इसके उपरान्त श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पेश सूत्र सूचना में दिनांक 15.05.2023 को समय 09:51:06 पर जयनारायण मीणा के मोबाईल नम्बर 90575-59971 तथा धर्मसिंह के मोबाईल नम्बर 9829844471 के मध्य हुई वार्ता में आरोपी श्री धर्मसिंह द्वारा आरोपी जयनारायण मीणा को मुलाकात हेतु नहीं आने को उलाहना देने पर आरोपी श्री जयनारायण मीणा द्वारा व्यवस्था नहीं होने के कारण और पारिवारिक कारणों से दो-तीन दिन में आने का आश्वासन दिया जाना पाया गया तथा धर्म सिंह द्वारा ओर समय दिये जाने से इंकार किया जाकर आज ही मिलने के लिये कहने पर आरोपी श्री जयनारायण मीणा द्वारा आज व्यवस्था नहीं होना बताकर बुधवार शाम को आने के लिये आश्वस्त करना पाया गया है तथा आरोपी श्री धर्मसिंह को अपनी फाईल मंगवाने के लिये कहा गया है। दिनांक 20.05.2023 को समय 15:49:51 पर जयनारायण मीणा के मोबाईल नम्बर 9057559971 तथा धर्मसिंह के मोबाईल नम्बर 9829844471 के मध्य हुई वार्ता में जय नारायण कहता है कि वो आज धर्मसिंह के घर पर सामान लेकर गया था नल बिजली को लेकिन मेडम (धर्म सिंह की पत्नि) ने मना कर दिया कि उनके आने पर ही देना तो धर्मसिंह ने पूछा कि पैसे लेकर नहीं गये क्या? तो जयनारायण कहता है कि गया था ना लेकर पर मेडम ने कहा वो तो गांव गये है उन्हीं को देना। तो धर्मसिंह नाराजगी जताते हुये वापस जाकर देने को कहता है तो जयनारायण द्वारा आरोपी श्री धर्मसिंह को विश्वास दिलाकर कहा जाता है कि आप जब भी इधर से आओ मैं रोड पर ही दे दूंगा।

इसके अतिरिक्त दिनांक 02.06.2023 को भी आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा आरोपी श्री जयनारायण मीणा को फोन कर मुलाकात के लिये आने के लिये कहता है तो आरोपी जयनारायण मीणा दिनांक 10.06.2023 के बाद में आने के लिये कहता है। दिनांक 10.06.2023 को दोनों मध्य हुई वार्ता में भी आरोपी धर्मसिंह द्वारा आरोपी को आने के लिये पूछने पर आरोपी जयनारायण मीणा द्वारा शाम के 5-6 बजे तक आने के लिये कहा जाता है, तो आरोपी श्री धर्मसिंह द्वारा शाम तक आने के लिये कहा जाता है। सूत्र सूचना के अवलोकन से आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा द्वारा श्री अजय मीणा से की गई वार्ता भी संदेहास्प्रद प्रतीत होती है तथा दिनांक 01.06.2023 को आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के मोबाईल नम्बर 8432321148 पर की गई वार्ता भी संदिग्ध प्रतीत होती है। इसी क्रम में आज दिनांक 12.06.2023 को उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री धर्मसिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं आरोपी जयनारायण मीणा द्वारा आदान-प्रदान होकर उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री धर्मसिंह के कब्जे से बरामद होना पाया गया है।

तकनीकी शाखा से प्राप्त सूत्र सूचना पर अब तक की कार्यवाही से अन्तावरोध पर लिये गये आरोपीगण श्री जयनारायण मीणा के मोबाईल नम्बर 9057559971, 9772551477 एवं श्री धर्मसिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, विशेष योग्यजन, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के मोबाईल नम्बर 9829844471 तथा संदिग्ध श्री अजय मीणा, अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुर्नवास गृह, जामडोली, जयपुर के मोबाईल नम्बर 9782802188 के मध्य हुये वार्तालाप से प्रकट

हुआ है कि आरोपी श्री धर्मसिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, द्वारा ठेकेदार आरोपी श्री जयनारायण मीणा से अवैध रूप से मिलीभगत कर स्वयं लोकसेवक होते हुये मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली में लेबर सप्लाई को टेण्डर पास कराने की एवज में 50,000/– रूपये की रिश्वत राशि का आदान–प्रदान करना प्रमाणित होना पाया गया है। सूत्र सूचना के अवलोकन से आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा श्री अजय मीणा, अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली तथा अन्य व्यक्ति से भी जो वार्तालाप किया गया गया वह भी काफी संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त वार्तालापों से भी आरोपी श्री धर्मसिंह की अन्य से मिलीभगत तथा रिश्वत प्राप्त की मंशा प्रतीत होती है। जिसके सम्बंध में विस्तृत तथ्य अनुसंधान से ही स्पष्ट किया जा सकते है। सूत्र सूचना में अंकित तथ्य व उनके दर्शित वार्तालाप के अंश से आज दिनांक 12.06.2023 को आरोपी श्री जयनारायण मीणा द्वारा श्री धर्मसिंह मीणा वरिष्ठ लेखाधिकारी को 50,000/– रूपये दिये जाने के तथ्य तथा श्री धर्मसिंह मीणा की जामा तलाशी में 50,000/– रूपये बरामद होने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह राशि श्री धर्मसिंह मीणा द्वारा अनुचित लाभ के तौर पर प्राप्त की गई है।

इसके अतिरिक्त सूत्र सूचना के अवलोकन से आरोपी ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा द्वारा मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली में नियम विरूद्ध रखरखाव से सम्बंधित टेण्डर प्राप्त करने तथा कार्य के दौरान अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिये तथा बिलो के पूनर्भरण के लिये निदेशालय, विशेष योग्यजन तथा मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली के अधिकारियों को रिश्वत की राशि दी जा रही है। चूंकि प्रकरण में अन्तावरोध पर लिये गये मोबाईल फोन की रिकॉर्डेड वॉयस क्लिप की फर्द वार्ता रूपान्तरण अभी तक प्राप्त होना शेष है।

उपरोक्त आरोपीगण के मोबाईल नम्बरों को तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा अन्तावरोध पर लिया जाकर आरोपीगण के मोबाईल नम्बरों से होने वाली कॉल्स को रिकॉर्ड किया गया है। उक्त कॉल रिकॉर्डस में आरोपीगण द्वारा परस्पर तथा विभिन्न लोगों/लोकसेवकों/ठेकेदार आदि से उनके कार्यों के सम्बंध में वार्ता की गई है उक्त रिकॉर्डेड वार्ताओं से मिलान हेतु स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त दोनों आरोपीगण को अपनी–अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराने बाबत कहा गया तो दोनों आरोपीगण श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर तथा श्री जयनारायण मीणा, ठेकेदार ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रकरण में अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराने से इंकार किया। तत्पश्चात् उक्त के सन्दर्भ में फर्द मूर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा उम्र 59 साल निवासी प्लाट नम्बर 13, कुसुम विहार कॉलोनी, जगतपुरा हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा आरोपी ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा उम्र 45 साल निवासी ग्रामपोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर से अवैध रूप से मिलीभगत कर स्वयं लोकसेवक होते हुये मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली में लेबर सप्लाई को टेण्डर पास कराने की एवज में 50,000/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा इसी कम में आज दिनांक 12.06.2023 को आरोपी श्री धर्मसिंह द्वारा आरोपी श्री जयनारायण मीणा से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली में लेबर सप्लाई को टेण्डर पास कराने की एवज में स्वयं के लिये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120 बी भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया।

इसी कम में आरोपी ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा उम्र 45 साल निवासी ग्रामपोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय

निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा आरोपी श्री धर्मसिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी से अवैध रूप से मिलीभगत कर मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली में लेबर सप्लाई को टेण्डर पास करवाने की एवज में आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी को बतौर अनुचित लाभ 50,000/– रूपये प्रदान करना प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री जयनारायण मीणा का उक्त कृत्य धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120 बी भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा उम्र 59 साल निवासी प्लाट नम्बर 13, कुसुम विहार कॉलोनी, जगतपुरा हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा आरोपी ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा उम्र 45 साल निवासी ग्रामपोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर से अवैध रूप से मिलीभगत कर स्वयं लोकसेवक होते हुये मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली में लेबर सप्लाई को टेण्डर पास कराने की एवज में 50,000/– रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी श्री जयनारायण मीणा द्वारा उपरोक्त आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा के भ्रष्ट कृत्यों में संलिप्त होते हुये पूर्व की अन्तावरोध वार्ताओं के क्रम में आरोपी श्री धर्मसिंह मीणा को मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पूनर्वास गृह, जामडोली में लेबर सप्लाई को टेण्डर पास करवाने की एवज में 50,000/– रूपये की रिश्वत राशि का आदान–प्रदान करना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री धर्मसिंह मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा उम्र 59 साल निवासी प्लाट नम्बर 13, कुसुम विहार कॉलोनी, जगतपुरा हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर तथा आरोपी ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा उम्र 45 साल निवासी ग्रामपोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में जब्तशुदा रिश्वत राशि एवं आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। घटनास्थल का निरीक्षक कर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अतः आरोपीगण 1. श्री धर्मसिंह मीणा पुत्र श्री रामधन मीणा उम्र 59 साल निवासी प्लाट नम्बर 13, कुसुम विहार कॉलोनी, जगतपुरा हाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर 2. आरोपी ठेकेदार श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा उम्र 45 साल निवासी ग्रामपोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर 3. अन्य के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(सचिन)
उप अधीक्षक पुलिस,
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सचिन, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 8, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0दं0सं0 में आरोपीगण 1. श्री धर्मसिंह मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर 2. श्री जयनारायण मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा, निवासी ग्राम पोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल ठेकेदार, कार्यालय निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 149/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:-1123-26 दिनांक 13.6.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

13.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।